भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2307
13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बाराबंकी में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

2307. श्री तनुज पुनिया:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त जिले में विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों सहित उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का योजनावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/ कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम–यू 2.0) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियां जारी करती हैं।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मिशनों/योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले हेतु स्वीकृत परियोजनाओं और आवंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0):

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले को अमृत के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।

अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत, 297.32 करोड़ रुपए की लागत की 5 जलापूर्ति परियोजनाएँ और 3.6 करोड़ रुपए लागत की 2 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएँ अनुमोदित की गई है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0):

पीएमएवाई-यू - 'सभी के लिए आवास मिशन' 25.06.2015 से कार्यान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 214.72 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है और स्वीकृत आवासों की संख्या 14040 है।

स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (एसबीएम-यू और एसबीएम–यू 2.0):

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में समान रूप से कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, एसबीएम-यू के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरे मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती है, न कि वार्षिक आधार पर।

प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 12,134 से अधिक पथ विक्रेताओं को 22.46 करोड़ रुपए की राशि के 16,474 ऋण वितरित किए गए हैं।

*****